

Sat Pal Bansal v. Commissioner of Income Tax (S. P. Goyal. J.)

एचएसबी

पूरी बेंच

समक्ष पीसी जैन, सीजे, एसपी गोयल और एसएस कांग ज ज.

सतपाल बंसल,- आवेदक

बनाम

आयकर आयुक्त-प्रतिवादी

1979 का आयकर संदर्भ 131

13 अगस्त 1986

आयकर अधिनियम (1961 का 43) - धारा 171 - एक हिंदू अविभाजित परिवार का आकलन करता है जिसमें कर्ता के रूप में एक पति और पत्नी शामिल है - पारिवारिक व्यवसाय पूंजी के लिए धारा 171 के तहत आंशिक विभाजन के लाभ का दावा करने वाले करदाता - पत्नी या एकमात्र जीवित सह-वारिस - चाहे हकदार हो विभाजन का दावा करने के लिए - विभाजन का लाभ-क्या निर्धारिती के लिए उपलब्ध है।

निर्धारित किया गया, कि हिंदू कानून के अनुसार, हिंदू अविभाजित परिवार की महिला सदस्य। संयुक्त परिवार की संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं है और उनका हित केवल भरण-पोषण तक ही सीमित है। एक पत्नी खुद एचयूएफ संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसके पति और उसके बेटों के बीच बंटवारा होता है, तो वह बेटे के बराबर हिस्सा पाने और अपने पति से अलग भी उस हिस्से को रखने और उसका आनंद लेने की हकदार है। जो हिस्सा पत्नी या माँ को आवंटित किया जाता है वह उसके भरण-पोषण के अधिकार के बदले में होता है

और ऐसे शेयर के आवंटन से यह नहीं पता चलता कि एचयूएफ की संपत्ति में उसका कोई अधिकार या हित था। इसके अलावा, इससे पहले कि कोई संपत्ति के बंटवारे की कल्पना या सोच सके, उसका स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों के पास होना चाहिए। जाहिर है कि एकमात्र मालिक संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता। एचयूएफ के एकमात्र जीवित पुरुष सदस्य द्वारा पत्नी या मां को संपत्ति में किसी भी हिस्से का अनुदान केवल उनके भरण-पोषण के अधिकार के बदले में संपत्ति के निपटान की प्रकृति में होगा और किसी भी हद तक नहीं हो सकता है। तर्क यह दिया जा रहा है कि उनके बीच संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि एकमात्र जीवित सह-वारिस, सह-वारिस संपत्ति के तथाकथित विभाजन के आधार पर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 171 के प्रावधानों के तहत किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है। उनके और उनकी पत्नी के बीच प्रभाव पड़ा।
(पैरा 2 और 3)

आयकर आयुक्त *बनाम* नारायण दास वाधवा।

(1980) 123 आईटीआर 281.

(अति-शासित)।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 256(1) के तहत *आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ बेंच)* चंडीगढ़ द्वारा बनाया गया *आयकर संदर्भ*, इस माननीय न्यायालय की राय जानने के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न का संदर्भ देता है, जो उत्पन्न होता है निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए 1975-76 के आईटीए नंबर 488 और 1978-79 के

Sat Pal Bansal v. Commissioner of Income Tax (S. P. Goyal. J.)

आरए नंबर 111 में ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 15 सितंबर, 1978 के अनुसार।

"क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल का यह मानना उचित था कि कर्ता एकमात्र जीवित सह-वारिस हैं जो अपने और अपनी पत्नी के बीच पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को प्रभावित नहीं कर सकता है?"

इस मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 14 नवंबर, 1985 को माननीय श्री न्यायमूर्ति एसपी गोयल और माननीय श्री न्यायमूर्ति डीवी सहगल की खंडपीठ द्वारा इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा गया था। माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री प्रेम चंद जैन, माननीय श्री न्यायमूर्ति एसपी गोयल और माननीय श्री न्यायमूर्ति सुखदेव सिंह कांग की बड़ी पीठ ने 13 अगस्त, 1986 को शामिल कानून के प्रश्न का फैसला किया।

याचिकाकर्ता की ओर से बीएस गुप्ता, अधिवक्ता और पीएस सैनी, अधिवक्ता ।

प्रतिवादियों की ओर से अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता और अजय मित्तल, अधिवक्ता ।

निर्णय

एसपी गोयल, ज.-

- (1) इस मामले में इस न्यायालय को संदर्भित यह प्रश्न इस प्रकार हैं कि क्या ट्रिब्यूनल का यह मानना उचित था कि कर्ता ही है

एकमात्र जीवित सहदायिक अपने और अपनी पत्नी के बीच पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता। चूँकि इस प्रश्न पर *कुन्दन लाल बनाम आयकर-सह-संपत्ति-कर आयुक्त, पटियाला*, (1) और *आयकर आयुक्त अमृतसर-1 बनाम नारायण दास वाधवा*, (2) मामले में इस अदालत की दो डिवीजन बेंच के फैसलों के बीच विरोधाभास था। मामला पूर्ण पीठ को भेजा गया था।

- (2) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार है (संक्षेप में, जिसे एचयूएफ कहा जाता है) जिसमें सत पाल बंसल और उनकी पत्नी श्रीमती बंती बंसल शामिल हैं। वर्ष 1973-74 से संबंधित मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, आयकर अधिकारी के समक्ष एक दावा किया गया था कि कर्ता की पत्नी और उनमें से प्रत्येक के कहने पर पारिवारिक व्यवसाय पूंजी का *आंशिक विभाजन किया गया था और* रुपये 30,374.78 हर किसी को क्रेडिट किया गया था। मूल्यांकन प्राधिकारी ने कई आधारों पर दावे को खारिज कर दिया, जिसमें यह भी शामिल है कि पत्नी विभाजन का दावा नहीं कर सकती है और न ही यह कर्ता द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, वह एचयूएफ का एकमात्र जीवित पुरुष सदस्य है। सहायक अपीलीय आयुक्त के समक्ष असफल होने के बाद, निर्धारिती ट्रिब्यूनल के समक्ष आगे की अपील में गया, जिसने नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि न तो पत्नी हिंदू कानून के तहत विभाजन की मांग कर सकती है और न ही पति जो एकमात्र जीवित सह-पार्सनर है। एचयूएफ अपने और अपनी पत्नी के कहने पर पारिवारिक संपत्ति को अपने और अपनी पत्नी के बीच बांट सकता है।
- (3) हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से एचयूएफ की संपत्ति में पत्नी के अधिकारों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह विवादित है कि हिंदू कानून के अनुसार, एचयूएफ की महिला सदस्यों का संयुक्त परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है

और उनका हित केवल भरण-पोषण तक ही सीमित है। जैसा कि मुल्ला ने हिंदू कानून के पैरा 315 में कहा है, एक पत्नी खुद एचयूएफ की संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकती है, लेकिन अगर उसके पति और उसके बेटों के बीच बंटवारा होता है, तो वह संपत्ति के बराबर हिस्सा पाने की हकदार है। बेटे को और अपने पति से भी अलग उस हिस्से को रखना और उपभोग करना। जो हिस्सा पत्नी या मां को आवंटित किया जाता है, जैसा कि *जी.आई.एफ.टी.-टैक्स के आयुक्त, गुजरात -1* बनाम *श्रीमती तारामती हरिप्रसाद वासा*, (3) में गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा रखा गया है, के बदले में है उसके भरण-पोषण का अधिकार और ऐसे हिस्से का आवंटन यह नहीं दर्शाता है कि एचयूएफ संपत्ति में उसका कोई अधिकार या हित था। इससे पहले कि कोई विभाजन की कल्पना

(1) (1981)129 आईटीआर 755।

(2) (1980)123 आईटीआर 281।

(3) (1969) 74 आईटीआर' 211.

या सोच सके, संपत्ति इसका स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों के पास होना चाहिए। जाहिर है कि एकमात्र मालिक संपत्ति का बंटवारा नहीं कर सकता। एचयूएफ के एकमात्र जीवित पुरुष सदस्य द्वारा पत्नी या मां को संपत्ति में किसी भी हिस्से का अनुदान केवल उनके भरण-पोषण के अधिकार के बदले में संपत्ति के निपटान की प्रकृति में होगा और किसी के द्वारा नहीं। तर्क के विस्तार को उनके बीच संपत्ति का विभाजन कहा जा सकता है। इसलिए, हमारा मानना है कि केवल एक पुरुष सदस्य या एकमात्र सह-सांसर वाले एचयूएफ संपत्ति के मामले में कोई आंशिक या अन्यथा विभाजन संभव नहीं होगा। इसी तरह का दृष्टिकोण गुजरात उच्च न्यायालय ने *आयकर आयुक्त गुजरात-1* बनाम *शांतिकुमार जगभाई* (4) और मद्रास उच्च न्यायालय ने टीजे के. *रमन* (एचयूएफ) बनाम *आयकर आयुक्त* (5) में लिया था, जो हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

(4) अब, हम इस न्यायालय के ऊपर उल्लिखित दो निर्णयों पर विचार कर सकते हैं। *कुन्दन लाई के मामले* में (सुप्रा) एचयूएफ में मूल रूप से पिता, तीन बेटे, पत्नी और एक बेटी शामिल थी। तीनों बेटे अलग-अलग तारीखों पर परिवार से अलग हो गए और एचयूएफ संपत्तियों से अपना हिस्सा प्राप्त कर लिया। उनके अलग होने के बाद एचयूएफ में पति, उसकी पत्नी और उनकी अविवाहित बेटी शामिल थी। यद्यपि पत्नी प्रत्येक अवसर पर हिस्सेदारी पाने की हकदार थी, जब तीन बेटे अलग हो गए, लेकिन उसे कोई हिस्सा आवंटित नहीं किया गया। बाद में, कुन्दन लाई द्वारा अपने और अपनी पत्नी के बीच आंशिक बंटवारा किया गया जो विवाद का विषय था। खंडपीठ ने इस आधार पर आंशिक विभाजन को बरकरार रखा

कि जब पिता और पुत्रों के बीच विभाजन हुआ, तो पत्नी हिस्से की हकदार थी और उसने कभी भी अपना अधिकार नहीं छोड़ा या छोड़ा नहीं, वह वैध रूप से एचयूएफ संपत्ति में अपने हिस्से का दावा कर सकती है। जैसा कि इन तथ्यों से स्पष्ट है, एचयूएफ, जब पहली बार विभाजन हुआ था, मैं एक से अधिक सहदायिक या पुरुष सदस्य शामिल थे। जब उनके बीच बंटवारा हुआ तो पत्नी बेटे के बराबर हिस्से की हकदार थी। कोई हिस्सा आवंटित नहीं होने के कारण, वह कानून के तहत अपने हिस्से का दावा करने की हकदार थी और उस अधिकार को मान्यता देने के लिए किया गया आंशिक विभाजन, इसलिए सही रूप से कायम था। यहां तक कि पक्षों के दो विद्वान वकीलों में से किसी ने भी इस निर्णय की सत्यता पर विवाद नहीं किया।

(5) *नारायण दास वाधवा के मामले (सुप्रा)* में जब आंशिक विभाजन हुआ था, एचयूएफ में 'के', उनकी मां और दो बहनें शामिल थीं। खंडपीठ ने इस आधार पर उक्त विभाजन को बरकरार रखा एचयूएफ का कर्ता सहदायिक नहीं रहा और सहदायिक के रूप

(4) (1976)105 आईटीआर 795।

(5) (1983)140 आईटीआर 876।

में, उसे अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन का दावा करने और उसे प्रभावित करने का अधिकार था। तर्क में भ्रान्ति इतनी स्पष्ट है कि इसका खंडन करने के लिए किसी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एकमात्र मालिक संपत्ति का विभाजन

नहीं कर सकता है। मां और दोनों बहनें एचयूएफ की संपत्ति में सह-मालिक नहीं थीं और उनके पास केवल भरण-पोषण का अधिकार था, इसलिए एचयूएफ के कर्ता द्वारा उनके और उक्त परिवार के सदस्यों के बीच कोई विभाजन नहीं किया जा सकता था। खंडपीठ की आगे की टिप्पणी कि भले ही पूंजी के विभाजन को पारिवारिक व्यवस्था के रूप में लिया जाए, जो भी विभाजन के समान होगा, कायम नहीं रखा जा सकता है। एचयूएफ फंड से परिवार के सदस्यों को किसी भी राशि का आवंटन उनके भरण-पोषण के अधिकार की मान्यता के बदले में एक समझौता होगा, जिसे किसी भी तर्क से एचयूएफ संपत्तियों के विभाजन की प्रकृति में व्यवस्था के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस मामले का निर्णय सही ढंग से नहीं किया गया और इसे खारिज किया जाता है।

(6) उस समय करदाता के लिए नियुक्त वकील ने *(राम नारायण पालीवाल बनाम आयकर आयुक्त)* (6) मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों के बाद इसका उल्लेख किया था।

“इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मां बंटवारे का दावा करने की हकदार थी या नहीं, और भले ही राम नारायण एकमात्र पुरुष-सहदायिक था, वह विभाजन कर सकता था। आयकर कानून और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 171 में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि यदि एच.आई.जे.एफ. के सदस्य। मां और बेटे हैं, ऐसे एचयूएफ को एचयूएफ संपत्तियों का पूर्ण या आंशिक विभाजन करने से कानून में प्रतिबंधित किया गया है।

उस मामले में जब आंशिक विभाजन हुआ तो आईटीयूएफ में राम नारायण, उनकी मां, पत्नी, चार नाबालिग बेटे और एक बेटी शामिल थी। इस प्रकार एचयूएफ में एक से अधिक सहदायिक या पुरुष सदस्य होने पर आंशिक विभाजन वैध रूप से कर्ता द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, ऊपर उल्लिखित टिप्पणियाँ *ओबिटर आहार की प्रकृति में हैं।* अन्यथा ऊपर बताए गए हमारे निष्कर्षों के मद्देनजर, बेंच द्वारा इस हद तक की गई टिप्पणी कि कर्ता को विभाजन को प्रभावित करने से नहीं रोका जाएगा, भले ही वह एकमात्र जीवित सहदायिक या पुरुष सदस्य हो, को खारिज कर दिया जाएगा।

(6) 1977 का आईटीआर नंबर 27, 18 मई 1985 को तय हुआ।

(7) निर्धारिती के विद्वान वकील ने *अपूर्वा शंफीलाल शाह बनाम आयकर आयुक्त गुजरा (7) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया और आयकर आयुक्त बनाम गोबिंद नारायण (8)* में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय पर भी, लेकिन हमें इन निर्णयों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दोनों हैं। तथ्यों पर भेद करने में सक्षम। इनमें से प्रत्येक निर्णय में, एचयूएफ में एक से अधिक सहदायिक या पुरुष सदस्य शामिल थे और इस प्रकार यहां की गई किसी भी टिप्पणी का वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(8) परिणामस्वरूप, *नारायण दास वाधवा के मामले (सुप्रा)* में निर्णय

Sat Pal Bansal *v.* Commissioner of Income Tax (S. P. Goyal. J.)

को खारिज कर दिया गया है और हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक दिया गया है, यानी निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में। कोई लागत नहीं।

(7) (1983) 141 आईटीआर 558।

(8) (1975) 101 आईटीआर 602।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रीतिका शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा